

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

ब्लॉक 4डी, भूतल, इंद्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर (छ0ग0)

website - www.tribal.cg.gov.in

E mail - ctd.cg@nic.in

क्र./अ.सं.मा./ 151-142 / 2023-24 / 7416

रायपुर, दिनांक 26/09/2023

// आदेश //

छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के संशोधन आदेश क्रमांक एफ-20-57 / 2008 / 25-3 / आजाक, नया रायपुर, दिनांक 19 जनवरी 2017 के तहत प्रदत्त अधिकार एवं संबंधित जिला कलेक्टर-कोरबा (छ0ग0) के सत्यापन एवं जांच प्रतिवेदन के आधार पर अधोलिखित शैक्षणिक संस्था को धार्मिक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की निम्नांकित शर्तों के अधीन "स्थाई मान्यता" प्रदान की जाती है :-

क्रं0	जिला	अशासकीय संस्था / समिति का नाम	पंजीयन क्रं0 दिनांक	शैक्षणिक संस्था का नाम	प्रारम्भ वर्ष	विशेष
1	2	3	4	5	6	7
1	कोरबा	The Northern India-Zonal Assembly of the Marthoma Church, Delhi	33037 दिनांक 01.06.1998	सेंट थॉमस पब्लिक स्कूल, प्रगति नगर, एसईसीएल, दीपका, जिला-कोरबा (छ0ग0)	2015	—

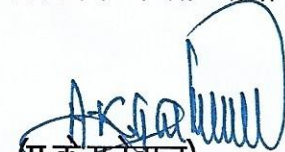
शर्त :-

- 1 गैर अनुदान प्राप्त तथा अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश केवल अल्पसंख्यक समुदाय तक ही सीमित नहीं रहेगा, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदकों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जा सकेगी। परन्तु इस संबंध में संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियम बाध्यकारी होंगे एवं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग नई दिल्ली (NCMEI) द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाए।
- 2 शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा पूर्णतः धार्मिक निर्देश/शिक्षा प्रदाय नहीं किया जावेगा।
- 3 संस्था द्वारा यह भी अनिवार्य रूप से पालन किया जावेगा कि, अल्पसंख्यकों द्वारा चलाई जा रही संस्था होने का (Privilege) दुरुपयोग/अनुचित लाभ किसी व्यक्ति या संस्था के लिये नहीं करेंगी।
- 4 संस्था, किसी विद्यार्थी को बिना उनके अभिभावकों की पूर्व लिखित सहमति किसी विशेष धार्मिक प्रवचन/पूजा के लिये बाध्य नहीं करेंगे।
- 5 संस्थाओं में भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया हेतु विश्वविद्यालय/मण्डल तथा राज्य शासन के नियम/निर्देश लागू होंगे, निर्धारित शैक्षणिक अहर्ता में शिथिलता नहीं दी जावेगी। योग्य शिक्षक एवं अन्य अमले हेतु भर्ती करने की स्वतंत्रता रहेगी, परन्तु सलाह दी जाती है, कि शिक्षकों तथा अन्य अमलों का चयन खुली (Open) विज्ञप्ति से एवं पारदर्शी प्रक्रिया से किया जाये।
- 6 शैक्षणिक संस्था के प्रशासन एवं प्रबंधन के लिये नियम रहेंगे जिसमें संस्था संबंधित संचालनालय/मण्डल/विश्वविद्यालय से सम्बद्धीकरण आदि का स्पष्ट उल्लेख होगा, शिक्षकों की सेवा शर्तें तथा योग्यता निर्धारित करते समय संस्था द्वारा सामाजिक एवं साम्प्रदायिक सद्भावना बनाये रखा जायेगा।

- 7 संस्था का वैध पंजीयन होना अनिवार्य होगा। इस हेतु आवेदक संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।
- 8 संस्था द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की सत्यता का उत्तरदायित्व संबंधित आवेदक संस्था का होगा।
- 9 संस्था के शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय अमले के लिये अनुशासन, नियम बनाते समय प्राकृतिक न्याय का ध्यान रखा जाये, संस्था के उत्कृष्ट प्रशासन का ध्यान रखा जाये, शैक्षणिक संस्थाओं के लिये जो अन्य सामान्य नियम हैं वह भी लागू होंगे।
- 10 संस्था की प्रबंधकारिणी में अधिकांश अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य रहेंगे, यह सुनिश्चित किया जावे। साथ ही संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियम भी लागू होंगे।
- 11 किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को विश्वविद्यालय/मण्डल से सम्बद्धीकरण के लिये प्रवेश में वरीयता का आधार, शिक्षा की उत्कृष्टता, प्रवेश की सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी प्रणाली, आवश्यक भौतिक संरचना, पाठ्यक्रम तथा शैक्षणिक गुणवत्ता आदि की पूर्ति का ध्यान रखा जाना होगा।
- 12 गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को इस विषय में राज्य शासन द्वारा जारी नीति तथा निर्देशों के अंतर्गत रहते हुये शिक्षण शुल्क लेने की स्वतंत्रता होगी परन्तु अनुचित लाभ अर्जन नहीं किया जा सकेगा, "केपीटेशन फीस" लिये जाने की अनुमति नहीं होगी, इस संबंध में विभिन्न याचिकाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/निर्देश लागू होंगे।

यदि संस्था द्वारा उपरोक्त नियमों/निर्देशों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो मान्यता निरस्त किया जा सकेगा।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)


 (ए.के.गढ़वाल)
 अपर संचालक 26/9/23

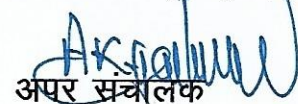
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
 नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)

पृ0 क्र./अ.सं.मा./151-142/2023-24/7417

रायपुर, दिनांक 26/09/2023

प्रतिलिपि :-

- 6 सचिव, छ0ग0 शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)।
- 7 सचिव, छ0ग0 शासन, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर (छ0ग0)।
- 8 कलेक्टर, जिला - कोरबा (छ0ग0)।
- 9 सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला-कोरबा (छ0ग0) को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 10 सचिव, छ0ग0 राज्य, अल्पसंख्यक आयोग, पुराना नर्सिंग हॉस्टल, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ0ग0)।
6. संस्था- The Northern India-Zonal Assembly of the Marthoma Church, Delhi द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्था-सेंट थॉमस पब्लिक स्कूल, प्रगति नगर, एसईसीएल, दीपका, जिला-कोरबा (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ।


 अपर संचालक

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
 नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)